

भारत सरकार
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)

सं.2010/टेली/11(2)/1 पार्ट

नई दिल्ली, 02.07.2012

दूरसंचार परिपत्र सं.08/2012

महाप्रबंधक,
सभी भारतीय रेलें

विषय: एसी (तकनीशियन) के लिए सीयूजी मोबाइल फोन का प्रावधान- किरायों के संबंध में स्पष्टीकरण.


संदर्भ: रेलवे बोर्ड का दिनांक 28.10.2010 का नीति पत्र सं.2010/टेली/11(2)/1.

बोर्ड की उपर्युक्त नीति के संबंध में, उन एसी (तकनीशियन), जो गाड़ियों में एसी सवारी डिब्बों के इंचार्ज हैं, को शून्य मासिक कॉल प्रभार लिमिट के साथ राष्ट्रीय सीयूजी कनेक्शन देने की अनुमति दी गई थी।

2. अब, पश्चिम रेलवे ने एसी (तकनीशियन) को मुहैया कराए गए सीयूजी कनेक्शन के किराए के संबंध में स्पष्टीकरण मांगा है। इस मामले पर विचार किया गया है और यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त संदर्भाधीन नीति के अनुसार में एसी (तकनीशियन) को मुहैया कराए गए सीयूजी कनेक्शन के किराए रेलवे प्रशासन द्वारा वहन किए जाएंगे।

3. इससे पश्चिम रेलवे के दिनांक 15.11.2011 के पत्र सं.जी.617/2/2/1/एसी तकनीक/आरटीएम का निपटान हो जाता है।

4. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।


(राकेश रंजन)

निदेशक (दूरसंचार)

दूरभाष: 011-23388504, 030-44613

फैक्स: 011-23304690, 030-44690

ई-मेल: dtele@rb.railnet.gov.in

o/c
P/16/7/12

प्रतिलिपि: मुख्य संकेत एवं दूरसंचार इंजीनियर/सभी भारतीय रेलें

